ch0Vh0lh0 if'k{k.k&2010 e vkonu gr foKfIr

शासनादेश संख्या–843/15–11/2010 दिनांक 14 मई 2010 के अनुपालन में शासकीय संस्थानों, जिनमें एन0सी0टी0ई0 द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता दी गयी है तथा ऐसी निजी संस्थाओं, जिन्हें एन0सी0टी0ई0 की मान्यता के उपरान्त प्रदेश शासन द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2010 में चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप पर ithdr Mkd@LihM ikLV से केवल अपने गृह जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को इस प्रकार भेजे कि उनका आवेदन पत्र fu/kkfjr frfFk 08-06-2010 तक उनके मूल निवास (गृह जनपद) के ftyk f'k{kk vkj if'k{k.k lLFkku को प्राप्त हो जाय। डाकघर के विलम्ब अथवा किसी अन्य कारण से उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

1- 'kf{kd ;kX;rk – आवेदन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा मान्य इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तथा विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं विकलांग तथा अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन हेतु न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी। स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

2- एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आवंटित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें शिक्षा मित्रों के लिये निर्धारित होंगी। शिक्षा मित्र के रूप में आवेदन करने हेतु उपर्युक्त बिन्दु–1 ''शैक्षिक योग्यता'' में उल्लिखित के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी ऐसे कार्यरत शिक्षामित्र अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होने कम से कम तीन शैक्षिक सत्र तक नियमित रूप से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य किया हो तथा अद्यतन कार्यरत हों। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय के अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

3- vk;q lhek & बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2010 में आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.07.2010 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी। भूतपूर्व सैनिकों हेतु आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

4- vf/kokl& अभ्यर्थी केवल अपने गृह जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में ही आवेदन कर सकते हैं। गृह जनपद का मूल निवास प्रमाण पत्र चयन के उपरान्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

5- vkj{k.k– अभ्यर्थियों के चयन में चयन तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जातियों/वर्गों को देय आरक्षण अनुमन्य होगा।

6- p;u dk ekun.M – प्रकाशित आवेदन–पत्र के क्रमांक 10 में अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडियट एवं स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के कुल योग के आधार पर आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरूष तथा उसमें भी 50 प्रतिशत कला तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। श्रेष्ठता सूची एन0सी0टी0ई द्वारा शासकीय संस्थानों तथा ऐसी निजी संस्थाओं, जिन्हें एन0सी0टी0ई0 की मान्यता के उपरान्त प्रदेश शासन द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, में एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीटों के प्रति तैयार की जायेगी। बी0एस0सी0, बी0एस0सी0(कृषि) अथवा बी0एस0सी0 (गृहविज्ञान) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी विज्ञान स्नातक अभ्यर्थी माने जायेंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित अंकों का ही गुणांक निर्धारण में उपयोग किया जायेगा। इनमें बाद में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।

7- vkonu 'kYd– आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये रू. 200/– तथा अन्य अभ्यथियों के लिए रू 400/– होगा। उक्त शुल्क ikpk;l ftyk f'k{kk vkj if'k{k.k lLFkku] tuin------------------------के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, के रूप में आवेदित जनपद के लिए देय होगा। निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा। विकलांगजनों से कोई आवेदन शुल्क नही लिया जायेगा।

8- x.kkd dk vkx.ku– हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत का योग करते हुये गुणांक आगणित किया जायेगा।

9- p;u lfefr–चयन से संबंधित समस्त कार्यवाही जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी। चयन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

10- vU; egRoi.k funl'k

(i) आवेदन पत्र ithdr@LihM ikLV l अन्तिम fu/kkfjr frfFk 08-06-2010 तक अभ्यर्थी के गृह जनपद के ftyk f'k{kk vkj if'k{k.k lLFkku में प्राप्त होना अनिवार्य है।

(ii) एक अभ्यर्थी द्वारा ,d gh vkosnu i= अपने गृह जनपद (जिसका वह मूल निवासी हो) के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में दिया जायेगा। एक से अधिक जनपदों में आवेदन की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेगें। ,d fyQkQs esa dsoy ,d gh vkosnu i= भेजा जाए। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन–पत्र होने पर समस्त आवेदन–पत्र निरस्त माने जायेंगे।

(iii) लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से ^^ch0Vh0lh0 izf'k{k.k 2010** अनिवार्यतः अंकित किया जाय।

(iv) vkosnu i= fu/kkZfjr izk:i esa ,&4 lkbt ds dkxt ij ,d gh i"B ij gksuk vfuok;Z gSA आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट **www.scertup.org** ls MkmuyksM fd;k tk ldrk gSA vH;FkhZ@gLrk{kj jfgr@LoghLrk{kfjr QksVks jfgr@lk/kkj.k Mkd ls izkIr@fu/kkZfjr izk:i ls fHkUu vkosnu&i= rFkk fu/kkZfjr 'kqYd ds cSad Mªk¶V jfgr vkosnu&i= fujLr dj fn;s tk;saxsA

(v) आवेदन पत्र के क्रमांक 6–लिंग कोड, क्रमांक 7–जाति आरक्षण कोड, क्रमांक 8–विशेष आरक्षण कोड, क्रमांक 9–विषय वर्ग तथा क्रमांक 11–शिक्षामित्र श्रेणी में अभ्यर्थन की स्थिति के सम्मुख बने बाक्स में संबंधित कोड का उल्लेख करें। जो सूचना अभ्यर्थी से lEcfU/kr u gks mls dkVrs gq, **"x"** चिन्ह अंकित किया जाए। संबधित बाक्स में कोड अंकित न किये जाने पर अथवा कोड के स्थान पर टिक करने या अन्य कोई निशान अंकित करने पर जाति अथवा विशेष आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा जो कोड भरा जायेगा, उसी कोड का अभ्यर्थी को लाभ दिया जायेगा। संलग्नकों का विवरण में संलग्न किये जाने वाले अंकपत्र/प्रमाण पत्रों का विवरण भरा जाय तथा सम्बन्धित अंकपत्र/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं निर्धारित शुल्क का बैंकड्राफ्ट मूलरूप में संलग्न किया जाये। आवेदन पत्र के साथ प्रेषित संलग्नकों और आवेदन पत्र में भरे गये विवरण में अन्तर/मिसमैच होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(vi) आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपनी हाल में खींची हुई LoPN LogLrk{kfjr QksVks pLik djuh vfuok;Z gSA

(viii) आवेदनकर्ताओं को यह भी घोषणा आवेदन में करनी होगी कि जो विवरण उन्होंने आवेदन पत्र में अंकित किये हैं, उनसे सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व उनके पास उपलब्ध हैं। vkosnu i= izfs"kr djus dh frfFk ds ckn ds fuxZr izek.k i=@vad i= ekU; ugha gksaxsA

(ix) आवेदन पत्र में अंकित घोषणा के अनुसार जांच के समय अभिलेख सत्य पाये जाने पर ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। dksbZ Hkh vfHkys[k@lwpuk vlR; ik;s tkus vFkok izLrqr u djus ij vH;FkhZ dk p;u Lor% fujLr gks tk;sxk एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(x) विशिष्ट आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाणपत्र आदि निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा।

(xi) foKfIr ds lkFk izdkf'kr vkosnu i= ds izk:Ik esa dksbZ ifjorZu@ifjo)Zu vekU; gksxkA उक्त स्थिति में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा। vkosnu&i= esa mfYyf[kr lwpuk,a gh p;u dk vk/kkj gSA ckn esa buesa dksbZ Hkh ifjorZu Lohdkj ugha gksxkA vr% lHkh lwpuk,a fu/kkZfjr LFkku ij LoPNrk ls Li"V vafdr dh tk;aA vkosnu i= esa fdlh izdkj dh dfVax@vksojkbfVax ekU; ugha gksxhA

(xii) सम्बन्धित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित आवेदन पत्र, आवेदन–पत्र प्रेषण की रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट की रसीद एवं संलग्न बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति अग्रेतर पत्र व्यवहार हेतु आवेदक द्वारा अनिवार्यतः अपने पास सुरक्षित रखी जाय।

lnL; lfpo] tuinh; p;u lfefr ,oa
izkpk;Z
ftyk f'k{kk vkSj izf'k{k.k laLFkku] leLr tuin]
m0iz0A

vkosnu i= dk izk:i

¼izk:i ,&4 lkbt ds iwjs ist ij osclkbV **www.scertup.org** ls Mkmu yksM fd;k tk ldrk gSA½

tuin------------------------------ e; ch0Vh0 lh0 izf'k{k.k 2010 gsrq vkosnu&i=

¼vkosnu&i= vH;FkhZ@vH;fFkZuh }kjk Lo;a lkQ&lkQ Hkjk tk;A dfVax ,oa vkojkbfVax ekU; ugha gksxhA uke ,oa firk dk uke rFkk tUefrfFk gkbZLdwy izek.ki= ds vuqlkj fy[kh tk;A vius.k] =fVi.k ,oa vLi"V vkosnu&i= fujLr dj fn;s tk;saxsA½

1. vH;FkhZ@vH;fFkZuh dk uke ¼fgUnh esa½ --

¼vaxszth ds dSfiVy v{kjksa esa½--

2- firk dk uke ¼fgUnh esa½--

3- TkUefrfFk ¼gkbZLdwy izek.k i= ds vuqlkj½ तिथि ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

4- ¼v½ xg tuin dk uke o irk ¼Fkkuk lfgr½ --

¼c½ i= O;ogkj dk irk ¼Fkkuk lfgr½ --

अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाया जाय। हस्ताक्षर इस प्रकार से किये जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा आवेदन पत्र पर हो।

5- VsyhQksu ua0 ;fn gks ¼,lVh0Mh0 dksM lfgr½&--ekckby ua0 ;fn gks---

6- fyax dksM& (महिला–1] पुरूष–2) ☐

7- tkfr vkj{k.k dksM& (सामान्य–1, अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जनजाति–3, अन्य पिछड़ी जाति–4) ☐

8- fo'ks"k vkj{k.k dksM&
(विकलांग दृष्टिबाधित–5, विकलांग श्रवणहृास–6, विकलांग चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता–7]
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित–8, भूतपूर्व सैनिक (Lo;a)–9) ☐
¼ykxw u gksus ij [kkus esa 'X* dk fu'kku cuk fn;k tk;½ ☐

9- fo"k; oxZ & ¼कला–10] विज्ञान–11½

10- vH;FkhZ dh 'kSf{kd@izf'k{k.k ;ksX;rk dk fooj.k&

ijh{kk	cksMZ ,oa dkWyst@fo0fo0	o"kZ	vuqdekad	iw.kkZad	izkIrkad
gkbZLdwy					
b.VjehfM,V					
Lukrd (भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण)					

11- f'k{kk fe= Js.kh esa vH;FkZu dh fLFkfr esa dksM&12 ¼ykxw u gksus ij [kkus esa 'X* dk fu'kku cuk fn;k tk;A ☐

12- cSad MªkQV dk fooj.k %&

cSad ,oa 'kk[kk dk uke	cSad MªkQV ua0 rFkk fnukad	cSad MªkQV dh /kujkf'k

13- layXudksa dk fooj.k %&

1- -- 2- --
3- -- 4- --
5- -- 6- --
7- -- 8- --

?kks"k.kk

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। आवेदन पत्र में बने सम्बन्धित बॉक्स में मेरे द्वारा भरे गये कोड/सूचना का ही लाभ मुझे दिया जाय। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर संबंधित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन–पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाणपत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरा होने तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के दिनांक के बाद का कोई भी प्रमाण पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करने तथा/विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा न करने/चयन/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाय तथा मेरे विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जाय।

fnukad & --------------------------- firk@ekrk@vfHkHkkod ds gLrk{kj vH;FkhZ@vH;fFkZuh dk iBuh; gLrk{kj

---

fuEukfdr fooj.k ftyk f'k{kk vkSj izf'k{k.k laLFkku }kjk Hkjk tk;sxk

1- Mkd?kj dk jftLVh Øekd& -- frfFk --

2- vkofVr dzekad ua0 & ☐☐☐☐☐☐☐

vH;FkhZ ds fooj.k dk layXudks ls feyku fd;k x;k rFkk lgh ik;k x;kA tkpdrkZ dk uke lfgr gLrk{kj@egj

List of DIETs

ftyk f'k{kk ,o izf'k{k.k lLFkku

1	आगरा	26	बुलन्दशहर	51	पकवाईनार–बलिया
2	महामायानगर	27	मुजफ्फरनगर	52	गोरखपुर
3	मडरॉक–अलीगढ़	28	पटनी–सहारनपुर	53	महाराजगंज
4	बाद–मथुरा	29	लखनऊ	54	रामपुर कारखाना–देवरिया
5	नगला अमान–फिरोजाबाद	30	उन्नाव	55	कुशीनगर
6	भोगांव–मैनपुरी	31	रायबरेली	56	प्लास्टिक कॉप्लेक्स–बस्ती
7	हरचंदपुर कला–एटा	32	खैराबाद–सीतापुर	57	संतकबीरनगर
8	फरीदपुर–बरेली	33	हरदोई	58	बांसी–सिद्धार्थनगर
9	बदायूं	34	लखीमपुर खीरी	59	फैजाबाद
10	ददरौल–शाहजहांपुर	35	इलाहाबाद	60	आलापुर–अम्बेडकरनगर
11	बीसलपुर–पीलीभीत	36	मंझनपुर–कौशाम्बी	61	सुल्तानपुर
12	कांठ–मुरादाबाद	37	फतेहपुर	62	गनेशपुर–बाराबंकी
13	ज्योतिबाफुले नगर	38	अतरसंड–प्रतापगढ़	63	दर्जीकूआं–गोण्डा
14	रामपुर	39	बरूआसागर–झांसी	64	बलरामपुर
15	इस्माइलपुर–बिजनौर	40	ललितपुर	65	पयागपुर–बहराइच
16	नर्वल–कानपुर नगर	41	पिण्डारी–जालौन	66	इकौना–श्रावस्ती
17	पुखरायां–कानपुर देहात	42	सारनाथ–वाराणसी	67	शिवरामपुर–चित्रकूट
18	छिबरामऊ–कन्नौज	43	सकलडीहा–चन्दौली	68	बांदा
19	रजलामई–फर्रूखाबाद	44	जौनपुर	69	चरखारी–महोबा
20	अजीतमल–औरैया	45	सैदपुर–गाजीपुर	70	सुमेरपुर–हमीरपुर
21	इटावा	46	पटेहराकला–मिर्जापुर		
22	छोटा मवाना–मेरठ	47	रॉबर्ट्सगंज–सोनभद्र		
23	बड़ौत–बागपत	48	संतरविदासनगर–भदोही		
24	हापुड़–गाजियाबाद	49	जाफरपुर–आजमगढ़		
25	दनकौर–गौतम बुद्वनगर	50	इमलिया–मऊ		